FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान :– ओम प्रकश बनाम मोहित खण्डेलवाल

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 12/172/2018

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.04.18	आज यह अपील हमारे समक्ष नियत तिथी को वास्ते क्षेत्राधिकार पर बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्ट वकील ने निवेदन किया कि आयुक्त नगर परिषद अलवर द्वारा दिनांक 28.07.2017 अपीलान्ट की निजी मिलकियत के मकान का पटटा अवैध व नाअधिकृत रूप से स्टेटग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में है। अपील अदालत इस न्यायालय द्वारा सुनने योग्य ना होकर संभागीय आयुक्त के श्रवण योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील वापिस किये जाने के आदेश पारित किये जावें ताकि अपीलान्ट उसे समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। हमनें अपीलान्ट वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नगर परिषद अलवर द्वारा पटटा जारी किया है। अपीलान्ट द्वारा त्रुटि से अपील पेश कर दी जबकि न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट वकील का कथन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की मूल अपील अपीलान्ट को वापिस लौटाने के आदेश दिये जाते है। अपील मीमों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रमाणित पत्रावली में रखी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। सुनाया। 24/04/18 जिला कलक्टर अलवर (राज0)	